यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड, प्रखण्ड –उत्तरकाशी, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड, प्रखण्ड – उत्तरकाशी, के माह 10/2016 से 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव पन्त, श्री अनिल कुमार , लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 29/11/2017 से 12/12/2017 तक श्री ए.सी. कटियार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजबहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चंद ,पर्यवेक्षक , श्री दिनेश नरवरिया , लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 28-10-2016 से 10-11-2016 तक श्री आई के जुयाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2014 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2016 से 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** ग्रामीण निर्माण विभाग का कार्य यह की विभिन्न विभागो के निर्माण कार्य डिपॉजिट कार्य के रूप मे सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण, जिला –उत्तरकाशी ।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2014-2015	-	516.13	216.21	145.14	1363.09	945.46	71.08	933.76
2015-2016	-	933.76	227.56	150.78	1032.28	1184.16	76.78	781.88
2016-2017	-	781.88	178.90	160.79	945.51	1560.56	18.10	166.83
2017-2018 (माह नवम्बर तक)		166.83	175.08	118.46	1080.48	719.90	56.61	527.41

(ब) **केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत , राज्य सरकार है ।

(iii) श्रेणी (जिस श्रेणी के अन्तर्गत इकाई आती है, उसे इंगित किया जाय) की है। इकाई की श्रेणी "A" है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1)सचिव ,ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग मे:

(2) मुख्य अभियंता स्तर –1(विभागाध्यक्ष) (3) मुख्य अभियंता, स्तर- 2,
(4) अधीक्षण अभियंता, (5) अधिशासी अभियंता (6) साहयक अभियंता
(7) कनिष्क अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) साहयक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान साहयक ,(7) वरिष्ठ साहयक ,(8) कनिष्क साहयक ।

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड, प्रखण्ड – उत्तरकाशी को (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड, प्रखण्ड- उत्तरकाशी, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह .... 03/2017..... को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vi) अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड, प्रखण्ड –उत्तरकाशी का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... "व्यय के आधार पर"..... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा .....13....., लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक .. से ..18-05-2017 से 20-05-2017 तक..... का निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह .....शून्य. ..... तथा 10/2017 ..... तक की गई।
5. फार्म 51: माह ... 10/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

   भाग प्रथम ..(-)921297.00
   भाग द्वितीय ..67357.00
6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह .. 11/2017 के अन्त में(धनराशि रु मे)

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम... 2,72,155.00
(ख) सामग्री क्रय....शून्य
(ग) नगद परिशोधन....शून्य
(घ) निक्षेप.... 78499441.00 (रु मे)
(ङ) भण्डार....105600.00

<u>भाग दो 'ब'</u>

प्रस्तर-1 प्रतिधारक दीवारों **(Retaining Walls)** के निर्माण पर ` **9.44** लाख की धनरा श का अपरिहार्य **(Avoidable)** व्यय।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि फरवरी 2014 में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड, देहारादून द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 216/10 अधिप्राप्ति/13/ दिनांक-12.02.14 के द्वारा प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) की विशिष्टियां जारी करते हुए इन विशिष्टियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु समस्त अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया था। उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रति मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, देहारादून को भी अनुपालनार्थ प्रष्ठांकित की गयी थी। उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी विशिष्टियों के अनुसार 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) को आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के द्वारा निर्माण कराया जाना था।

उक्त के अनुपालन में मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तराखंड, देहारादून द्वारा पत्रांक-2501/ ग्रा.अभि.से./2013-14/दिनांक-22.02.2014 के द्वारा प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड, देहारादून द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के आधार पर जारी की गयी विशिष्टियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग उत्तराखंड के समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया था एवं उक्त पत्र की प्रतिलिप समस्त अधिशासी अभियन्ताओं, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग उत्तराखंड को इस निर्देश के साथ प्रेषित की गयी थी उक्त विशिष्टियां एवं ड्रॉइंग्स अपने-अपने अधीक्षण अभियन्ताओं से प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

जबकि अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी कार्यालय के अंतर्गत ग्रामीण मोटर मार्ग एवं ड्रैनेज के अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की अवधि में स्वीकृत निर्माण कार्यों के निष्पादन से संबन्धित अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि (Annexure 'A') के अनुसार प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण मोटर मार्गों के निर्माण में 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों का 733.91 घन मीटर मात्रा में उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी विशिष्टियों के विपरीत आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के स्थान पर आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6/1:5 सीमेंट मोर्टार मेसनरी में निष्पादित कराये जाते हुए ` 22.47 लाख की धनराशि व्यय की गयी। जबकि 04 मीटर तक की ऊंचाई की प्रतिधारक दीवारों का निष्पादन यदि उक्त कार्यालय ज्ञाप में आर सी एसपी:48-पहाड़ी मार्ग मैन्युअल के आधार पर जारी विशिष्टियों के अनुरूप आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) में निष्पादित कराया जाता तो उक्त निर्माण कार्यों के निष्पादन पर ` 13.02 लाख की धनराशि ही व्यय करनी पड़ती। इस प्रकार प्रखण्ड स्तर पर 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों को उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी विशिष्टियों के विपरीत आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6/1:5 सीमेंट मेसनरी में निष्पादित कराये जाने के परिणामस्वरूप ` 9.44 लाख की धनराशि का अपरिहार्य व्यय (Avoidable Expenditure) किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि कार्यस्थल पर तात्कालिक परिस्थितियों एवं कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप कार्य कराया गया।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड तथा मुख्य अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखंड के आदेशों में स्पष्ट रूप से आदेशित करते हुए 04 मीटर तक की प्रतिधारक दीवारों का निर्माण आरआर ड्राइ ड्राइ में किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तथापि यदि अपरिहार्य परिस्थितियों स्थलीय आवश्यकता थी भी तो प्रखण्ड स्तर पर मुख्य अभियंता स्तर से उक्त के संबंध में पूर्वानुमति लिया जाना अपेक्षित था जैसा कि प्रखण्ड स्तर पर नहीं किया गया।

इसप्रकार प्रखण्ड स्तर पर विभागाध्यक्ष स्तर से जारी निर्देशों के अनुरूप न तो निर्माण कार्य ही निष्पादित कराये गए एवं न ही उक्त प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति ही प्राप्त की गयी। जिसके परिणामस्वरूप ` 9.44 लाख की धनराशि का अपरिहार्य व्यय (Avoidable Expenditure) हुआ।

अतः प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण मोटर मार्गों के निर्माण में ` 9.44 लाख की धनराशि के अपरिहार्य (Avoidable) व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

Annexure 'A'

प्रखण्ड उत्तरकाशी स्तर पर 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों को आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी के स्थान पर आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6 अथवा 1:5 सीमेंट मेसनरी में निम्नानुसार निष्पादित कराया गया :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sl. No.	**Name of the Road**	**Bond No, Date and Amount (in lakh)**	**Bonded Quantity of RR Stone Masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar (in Cum)**	**Executed Quantity of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar (in Cum)**	**Aggrementted rate of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar / Per Cum**	**Expenditure incurred on execution of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar**	**Aggrem ented rate of RR dry stone masonry Per Cum**	**Amount if quantities executed in RR Stone Masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar had been executed in RR dry stone masonry**	**Difference of rates between RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar and RR dry stone masonry (Column 7-Column 9)**
1	लाखा मण्डल भंकोली क. मी. 02 से बल्डोगखेड़ा बस्ती तक मो.मा.	19/EE/15.03.16 ` 22.10	64.80	144.07	3077.99	4,43,446.01	1543.23	2,22,333.15	2,21,112.86
2	श्रीकोट से बमणती मोटर मार्ग	28/EE/04.08.16 ` 16.18	81.42	86.99	3042.51	2,64,668.30	1932.55	1,04,327.87	1,60,340.43
		29/EE/06.08.16 ` 26.84	181.27	53.87	3048.99	1,64,248.99	1936.66	1,04,327.87	59,921.12
3	सेमलसारी से दारस्यु ग्रामीण मोटर मार्ग	01/EE/21.04.16 ` 23.75	120.86	100.08	3028.87	3.03,129.30	1917.28	1,91,881.38	1,11,247.92
		04/EE/06.05.16 ` 25.04	46.70	10.00	3030.38	30,303.90	1918.24	19,182.40	11,121,.50
4	गुनदियाट गाँव से छनिका मोटाल्डी होते हुए अंदुणी तक मोटर मार्ग	23/EE/15.03.16 ` 28.75	22.80	68.10	3026.00	2,06,070.60	1919.00	1,30,683.90	75,386.70
		19/SE/21.03.16 ` 43.14	68.30	61.73	3021.76	1,86,533.86	1916.32	1,18,294.43	68,239.43
5	धरासुबैंड-ब्रम्हखाल के क.मी. 05 में फैडी से ग्राम पंचायत कौड़ा तक ग्रामीण मोटर मार्ग	02/SE/05.04.16 ` 54.81	137.51	72.95	3079.82	2,24,672.66	1956.24	1,42,707.71	81,964.95
		35/EE/15.11.16 ` 21.79	177.78	35.99	3072.11	1,10,565.23	1951.35	70,229.09	40,336.14
6	सूच्याणगाँव से हटाल्डी तक मोटर मार्ग	07/EE/17.05.16 ` 25.59	164.45	100.13	3027.36	3,13,143.55	1982.43	1,98,502.72	1,14,640.83
	Total					**22,46,782.40**		**13,02,470.52**	**9,44,311.88**

भाग 2 ब

प्रस्तर संख्या-2**- रु 237.25 लाख धनराशि उपलब्ध राशि से अधिक व्यय किया जाना तथा वसूली लंबित रहना।**

खंड की लेखापरीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित धनराशिया कार्यो के सापेक्ष ऋणात्मक दर्शायी गयी है अर्थात उपलब्ध धनराशि से अधिक व्यय किया गया है। जबकि वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 580 के अनुसार जब तक धनराशि उपलब्ध न हो तो व्यय नहीं किया जाना चाहिए यदि अधिक व्यय हो जाये तो विभाग के विरुद्ध विविध अग्रिम डाल कर वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए। परंतु निम्न धनराशियों की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	आइटम संख्या	माह वर्ष	अधिक व्यय रु लाख मे
1	लाखामंडल भंकोली किमी 2 से बलड़ोगीखेड़ा मोटर मार्ग	2	03/2015	4.43
2	सेमलसारी से दरस्यु ग्रामीण मोटर मार्ग	5	03/2016	49.15
3	सिल्कयारा बणगाँव मोटरमार्ग मथाली से बदाल्दा ग्रामीण मोटर मार्ग	7	03/2016	30.38
4	सुंदरियाल गाँव से दुनिका मोहलड़ी होते हुये अंदुणी तक मोटर मार्ग	9	03/2016	29.38
5	धरासु गंगोत्री रा. राजमार्ग रथ्बदी से मनेरी कंडोला मोटरमार्ग	10	03/2016	17.87
6	धरासु बैंड ब्रह्मखाल के किमी 5 मे फेडी से ग्राम पंचायत कोड़ा तक ग्रामीण मोटर मार्ग	11	03/2016	82.70
7	नाकुरी मंगली सेरा कुशी बरसाली मोटर मार्ग से दारथीगला से प्रा.वि.कुशी तक मोटर मार्ग	12	03/2016	23.34
			कुल धनराशि	237.25

उपरोक्त रु 237.25 लाख धनराशि कार्यो मे उपलब्ध राशि से अधिक व्यय किया गया था । लेखापरीक्षा मे इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि डिपॉजिट कार्यो पर उपलब्ध राशि से अधिक व्यय मुख्य अभियंता के पत्र के क्रम मे किया गया है ।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि वर्ष 2015 से 2016 तक की अवधि मे निर्माण कार्यो मे उपलब्ध राशि से अधिक व्यय रु 237.25 लाख वित्तीय नियमो के विरुद्ध दूसरे निर्माण कार्यो से प्रत्यावर्तित करके व्यय किया गया था ओर एक वर्ष से अधिक समय बीत गया है अर्थात लेखापरीक्षा तिथि तक समायोजन /धनराशि प्राप्त नहीं हुई है । उपरोक्त वित्तीय नियमानुसार जब तक धनराशि उपलब्ध न हो तो व्यय नहीं किया जाना चाहिए यदि अधिक व्यय हो जाये तो विभाग के विरुद्ध विविध अग्रिम डाल कर वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए, विविध अग्रिम डाल कर कार्यवाही नहीं की गयी है ,लेखापरीक्षा तिथि तक वसूली लंबित है ।

अत**:** रु 237.25 लाख धनराशि उपलब्ध राशि से अधिक व्यय करने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
121/2004-05	1,2,3,	1,2,3
43/2008-09	1,2,3,4,5	शून्य
55/2011-12	01,	1,
21/2014-15	01,	1,2,3,4
87/2016-17	01,	1,2,3
योग	**11**	**11**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
121/2004-05	(2 अ),1,2,3 (2ब)1,2,3			
43/2008-09	(2अ)1,2,3,4,5 (2ब)-शून्य			
55/2011-12	(2अ)- 1, (2ब)-1,			
21/2014-15	(2अ)-1, (2ब)-1,2,3,4			
87/2016-17	(2अ)-1, (2ब)-1,2,3			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु ... अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड, प्रखण्ड – उत्तरकाशी, तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) -
   (ii) शून्य
   (iii) -
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) -
   (ii) शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
(i)	इ. विभु विश्वमित्र रावत ,	अधिशासी अभियंता

   लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति ..... अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड, प्रखण्ड – उत्तरकाशी, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र ,को प्रेषित की जाए । सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जांय।

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र